

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की दिनांक-29.07.2019 को संपन्न विशेष बैठक की कार्यवाही।

अनुपस्थिति- संलग्न।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

2. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के चतुर्थ वर्षगाँठ के अवसर पर PMAY(U) Award 2019 दिया जाना है, जिसमें योजना अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों तथा लाभुकों को पुरस्कृत किया जाएगा।
3. PMAY(U) Award 2019 के संदर्भ में भारत सरकार से Standard Operating Procedure (SOP) प्राप्त हुई है, जिसमें विस्तृत रूप से PMAY(U) Awards-2019 के संदर्भ में कंडिका वार विवरण दिया गया है जिसके अनुसार कुल 5 कोटियों में Award दिया जाएगा, जो निम्नवत् है :-

Sl No.	Award	Group I Awards	Group II Awards	Total Awards
1.	Best Performing State	3	1	4
2.	Best Performing Municipal Corporation	3	1	4
3.	Best Performing Municipalities(Nagar Parishadh/Panchayat)	3	3	8
4.	Special Awards for Best Practices/Innovation	9		
5.	Best House Construction (For 3 Beneficiaries from each of 35 State/UTs)	105		

Group I: 18 States including Jharkhand

Group II: 8 NER states, Himachal Pradesh, J&K, Uttarakhand

4. इस पुरस्कार के मूल्यांकन हेतु 4 व्यापक मादण्ड रखे गए हैं :-

Parameter A	Implementation of PMAY(U)	50%
Parameter B	Institutional Architecture of the Scheme	15%
Parameter C	Incremental Monthly Progress	20%
Parameter D	Outreach & Transparency	15%

उक्त के आलोक में समिति द्वारा अवार्ड Nomination हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

- 4.1. झारखण्ड राज्य को "Special Award for Best practices/ Innovation" अन्तर्गत निम्नांकित पांच कोटियों के लिए नामित करने पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

- I. Project Monitoring Method/Tools.
- II. Policy Initiatives to Promote affordable housing, which has resulted in transformation of the lives of urban poor.
- III. Adoption of fast track and alternate construction technologies for AHP/ISSR houses.
- IV. Community Mobilization initiative activity in project implementation, social audit, training, women powerment.
- V. Best AHP Project on Public land project.

- 4.2. नगर निगमों के अवार्ड हेतु राज्य के सभी नगर निगमों यथा धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, राँची, देवघर, मानगो, आदित्यपुर, मेदिनीनगर नगर निगम को नामित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए समिति का अनुमोदन दिया गया।

- 4.3. नगर परिषद/पंचायत के अवार्ड हेतु राज्य के तीन सर्वश्रेष्ठ निकायों का नामांकन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी वरीयता सूची (जो कि MIS ऑकड़ों पर आधारित है—कुल 85 अंकों) में तीन निकायों को Top-3 Ranking दी गई है जो निम्नवत है:-

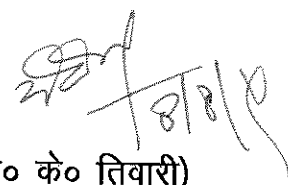
SL. No.	Municipality Name (Nagar Parishad)	Parameter A (Max Score 50)	Parameter B (Max Score 15)	Parameter C (Max Score 20)	Total (out of 85)	Ranking
1	Jhumri Tilaiya	37.50	10.50	3.17	51.17	1
2	Gumla	38.33	7.50	3.17	49.00	2
3	Garhwa	38.33	8.00	2.00	48.33	3

उपरोक्त नगर निकायों द्वारा Parameter-D : Outreach & Transparency (15 अंक), के लिए मांगी गई आवश्यक सूचनाएं अवार्ड पोर्टल पर नगर निकायों द्वारा अपलोड किया जा चुका है। उक्त नगर निकायों का नाम नामित करते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, को भेजे जाने पर SLSMC समिति का अनुमोदन दिया गया।

- 4.4. योजनान्तर्गत सबसे उत्कृष्ट आवास का निर्माण करने वाले 10 लाभुकों की सूची (आवास फोटो सहित) भारत सरकार को भेजा जाना है जिसके लिए राज्य के सभी नगर निकायों से 10 उत्कृष्ट आवास की छायाचित्र संकलित कर ली गई है, जिन्हे भारत सरकार को भेजने पर SLSMC समिति का अनुमोदन दिया गया।
5. Light House Project (LHP) के तहत राँची स्मार्ट सिटी अन्तर्गत कर्णांकित प्लॉट संख्या 20 के 6 एकड़ भूमि पर EWS लाभुकों के लिए आवास निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए समिति द्वारा पूर्व में चिन्हित भूमि मौजा-बाजरा में ही LHP का निर्माण कराये जाने पर अनुमोदन दिया गया साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि :-

- Light House Project हेतु चिन्हित भूमि मौजा-बाजरा के पहुँच-मार्ग (Approach-Road) हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण में आ रहे शुल्क को न्यूनतम रखा जाए, अन्यथा राँची नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत अन्य भूमि चिन्हित कर उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाई सम्पन्न की गई।

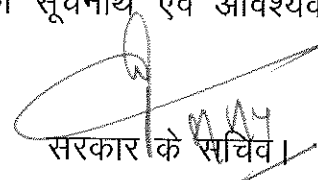


(डी० के० तिवारी)

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:- 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015.1.19.14 राँची/दिनांक:09.08.19

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।